गयी।
अधि० अपीलार्थी ने प्रस्तुत विड्रो
प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों को ही
दोहराते हुए निवेदन किया कि
गा०सं० 231 में अपीलार्थी
अपीलार्थी के पिता का नाम गलत अंकित किये
जाने से व्यथित होकर यह अपील
पेश की है। वर्तमान में राजस्व कैम्प
ग्राम स्तर पर राज्य सरकार द्वारा
आयोजित किये जा रहे हैं। जिसमें
अपीलार्थी ने अपने पिता के नाम की शुद्धि
का प्रा०पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए
उक्त अपील को अपीलार्थी पुनः अपील
पेश करने के अधिकार को सुरक्षित
रखते हुए अपील को विड्रो की अनुमति
प्रदान करावें।
राजकीय अधि० को अधि० अपीलार्थी
द्वारा प्रस्तुत प्रकरण विड्रो प्रा०पत्र पर
एतराज नहीं है।
अधि० अपीलार्थी की बहस पर गौर
मनन किया गया। अधि० अपीलार्थी
द्वारा प्रस्तुत उक्त नामान्तरण अपील
को विड्रो किये जाने बाबत पेश किये
गये प्रा०पत्र को स्वीकार किया जाकर
विड्रो प्रा०पत्र के आधार पर अपीलार्थी
द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज की
जाती है।
पत्रा० फैसल शुमार होकर बाद
राजि० कें० से तकमील दाखिल
दफ्तर हो।